

कायलय मुख अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
कायलय झाप

पत्रांक 1055/10 अधिष्ठापिका/2011

दिनांक: 27/08/2011

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 01/03/2011 से लागू किए गए कन्द्रीय शोधयुक्त ऑफ रेट्स में विभिन्न मर्दों की दरों के निर्धारण में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के समाधान हेतु दिनांक 17/08/2011 को प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में समस्त तकनीकी विभागों के मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष/अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिष्ठापिका अभियन्ताओं की बैठक आहूत की गयी थी।

बैठक में विकास खण्ड स्तर पर तैयार किये गये कन्द्रीय शोधयुक्त ऑफ रेट्स में दरों के निर्धारण के लिए निर्माण सामग्री के कुलान हेतु पैदल दूरी को भी समायोजित कर चार जोन तथा प्रत्येक जोन पर इन्डेक्स (वृद्धि दर) पर चर्चा हुई। बैठक में तकनीकी विभागों के द्वारा किये गये निर्णयानुसार आगणन गठित करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में रोड डेड से दूरी के आधार पर निम्नानुसार जोन निर्धारित किए जाते हैं:-

क्रम संख्या	जोन संख्या	प्रत्येक विकासखण्ड में मोटर रोड डेड से दूरी
1	एक	रोड डेड से 1 कि०मी० से अधिक तथा 5 कि०मी० तक पैदल दूरी
2	दो	रोड डेड से 5 कि०मी० से अधिक तथा 10 कि०मी० तक पैदल दूरी
3	तीन	रोड डेड से 10 कि०मी० से अधिक तथा 20 कि०मी० तक पैदल दूरी
4	चार (Extra Ordinary Zone)	रोड डेड से 20 कि०मी० से अधिक पैदल दूरी / Snow Bound Area / 2500 मी० से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र

महिष में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश करते हुए आगणन गठित किया जाय :-

- अ. किसी भी विकासखण्ड में रोड डेड से 1 कि०मी० तक की सीमा तक वर्तमान कन्द्रीय शोधयुक्त ऑफ रेट्स की दरें ही लागू होंगी।
- ब. जिन मर्दों में सामग्री (Material resources) का कोई अंश नहीं है, उनमें Zone wise index दरें नहीं होंगी तथा वर्तमान कन्द्रीय शोधयुक्त ऑफ रेट्स की दरें ही लागू रहेंगी। यथा-सिस्टी का कार्य, पहाड़ कटान, स्थल सफाई इत्यादि।
- स. Dry stone masonry / Dry Stone खड़वा/ Hand Packed Stone Filling इत्यादि मर्दों में भी कोई इन्डेक्स दरें नहीं होंगी तथा वर्तमान कन्द्रीय शोधयुक्त ऑफ रेट्स की दरें ही लागू होंगी।
- द. जोन चार (Extra Ordinary Zone) के निर्धारण हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं अन्य जोनों के निर्धारण हेतु अधिष्ठापिका अभियन्ता का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

प्रत्येक जोन हेतु इन्डेक्स (वृद्धि दर) निम्न प्रकार देय होगा :-

क्रम संख्या	जोन संख्या	देय वृद्धि दर / Index
1	2	वर्षाकाल कम संख्या व एवं स पर अंकित मर्दा एवं कॉलम सं० 3 पर अंकित मर्दा के अतिरिक्त अन्य मर्दा हेतु
1	2	3
1	एक	1.50 प्रतिशत
2	दो	2.00 प्रतिशत
3	तीन	3.00 प्रतिशत
4	चार	4.00 प्रतिशत
		7.50 प्रतिशत
		10.00 प्रतिशत
		15.00 प्रतिशत
		20.00 प्रतिशत

उक्त आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2011 से प्रभावी होगा।

(ललित मोहन)

मुख्य अभियन्ता स्तर -1

प्रतिनिधि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. विशेष कार्यवाहिकाधी, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पौड़ी / नैनीताल।
4. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमायूँ क्षेत्र, लॉ०नि०वि०, पौड़ी / अल्मोड़ा।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, आभारय विविध शाखा, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. प्रबन्ध निदेशक, पंचजल निगम, देहरादून/उत्तराखण्ड राज्य अवरुध्दापना विकास निगम, देहरादून।
12. परियोजना निदेशक, पी०ए०एम०यू०, ए०डी०बी०, देहरादून।
13. मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए० देहरादून।
14. समस्त अधीक्षण अभियन्ता लॉ०नि०वि० उत्तराखण्ड।
15. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (प्रथम/द्वितीय), कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर -1 लॉ०नि०वि० देहरादून।
16. कनिष्ठ अभियन्ता (प्र०), कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर -1, लॉ०नि०वि०, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर -1